



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, दिनांक 01 जून, 2025
11 ज्येष्ठ, शक संवत् 1947

विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश

(पटल कार्यालय)

संख्या : 67/वि0स0/प0का0/76(प)/2005

लखनऊ, दिनांक 01 जून, 2025

अधिसूचना

प्रकीर्ण

चूंकि, जनपद-मऊ, 356, मऊ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से श्री अब्बास अंसारी, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे;

चूंकि, श्री अब्बास अंसारी, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र संख्या-356, मऊ को फौजदारी मुकदमा संख्या-9720/2022, मुकदमा अपराध संख्या-97/2022, थाना कोतवाली, जनपद मऊ के प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एम0पी0/एम0एल0ए0), मऊ द्वारा दोष सिद्ध पाते हुए धारा-171 एफ, भा0द0सं0 के आरोप में छः मास के साधारण कारावास की सजा एवं रु0 2,000 (रुपया दो हजार मात्र) के अर्थदण्ड से, धारा-189 भा0द0सं0 के आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं रु0 3,000 (रुपया तीन हजार मात्र) के अर्थदण्ड से, धारा-153ए भा0द0सं0 के आरोप में दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं रु0 3,000 (रुपया तीन हजार मात्र) के अर्थदण्ड से, धारा-506 भा0द0सं0 के आरोप में एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा एवं रु0 2,000 (रुपया दो हजार मात्र) के अर्थदण्ड से एवं धारा-120बी भा0द0सं0 के आरोप में छः मास के साधारण कारावास की सजा एवं रु0 1,000 (रुपया एक हजार मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अतएव, भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-509/Gen/2015/RCC, दिनांक 13-10-2015 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित रिट याचिका संख्या-490/2005 तथा रिट याचिका संख्या-231/2005 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

पारित निर्णय दिनांक 10 जुलाई, 2013 के अनुक्रम में श्री अब्बास अंसारी दिनांक 31 मई, 2025 से निरह माने जाएंगे।

अतः एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में श्री अब्बास अंसारी का उक्त स्थान दिनांक 31 मई, 2025 से रिक्त हो गया है।

आज्ञा से,
प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव।